



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938

No. 123]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/CHAITRA 15, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2016

**फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014.**—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर भेजे जा सकेंगे ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

### प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, विनियम 2.2 के उप-विनियम 2.2.1 में,—

(क) खंड 2 में, “आयोडीन मान 98 से 112 तक होगा” शब्दों और अंकों के स्थान पर “आयोडीन मान 98 से 123 तक होगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड 24 में, मद 4(ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(iii) वस्तुतः परिष्कृत राइस ब्रान तेल के साथ सम्मिश्रित

भार के अनुसार 4.0 प्रतिशत से अधिक नहीं परंतु आरेजनोल तत्व राइस ब्रान तेल के साथ 20 प्रतिशत स्तर पर न्यूनतम 0.20 % (भार द्वारा) और सम्मिश्रण में राइस ब्रान तेल तत्व के प्रत्येक 5% में 0.05% की वृद्धि के साथ हो।”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./6/16]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015; और
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(Food Safety and Standards Authority of India)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2016

**F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014.**—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India propose to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of Section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002, or may be sent at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in);

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, will be considered by the Food Authority.

**Draft regulations**

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.2, in sub-regulation 2.2.1,—
  - (a) in clause 2, for the words and figures, “Iodine value 98 to 112”, the words and figures “Iodine value 98 to 123” shall be substituted;
  - (b) in clause 24, after item 4(ii), the following item shall be inserted, namely :—

“(iii) Blended with physically refined rice bran oil

Not more than 4.0 percent by weight; provided that oryzanol content be minimum of 0.20% (by weight) with rice bran oil at 20% level and with an increment of 0.05% with every 5% rise in rice bran oil content in the blend.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.—III/4/Exty./6/16]

**Note.** - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7<sup>th</sup> June, 2013;
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27<sup>th</sup> June, 2013;
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12<sup>th</sup> July, 2013;
- (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5<sup>th</sup> December, 2014;
- (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17<sup>th</sup> February, 2015;
- (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4<sup>th</sup> August, 2015;
- (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4<sup>th</sup> November, 2015;
- (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4<sup>th</sup> November, 2015;
- (ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015;
- (x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015;
- (xi) F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015; and
- (xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11<sup>th</sup> January, 2016.